परिशिष्ट–15

उत्तरांचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास विभाग
संख्या 225/व0ग्रा0वि0वि0/कृषि/2002
देहरादून: दिनांक: 08 जुलाई 2002

231 20 17/7/02

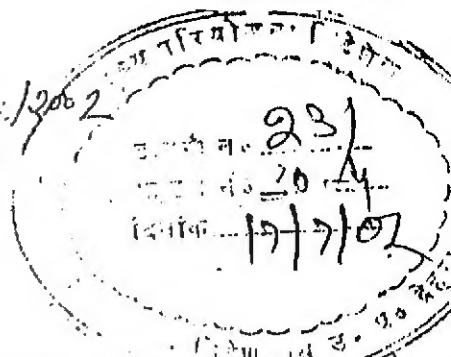

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में, मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में जल संग्रहण विकास के आधार पर, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम (डी0पी0ए0पी0), समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0डी0पी0) व सुनिश्चित रोजगार योजना (ई0ए0एस0) क्रियान्वित की जा रही हैं तथा कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय से वर्षा आधारित कृषि हेतु राष्ट्रीय जलागम विकास योजना (एन0डब्ल्यू0डी0पी0आर0ए0) का क्रियान्वयन कृषि विभाग/जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक पोषित शिवालिक परियोजना के माध्यम से जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून द्वारा भी जलागम विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के उपरान्त प्रकाश में आया है कि पर्वतीय क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुरूप जल के संरक्षण एवं चारागाह विकास आदि प्राथमिकता वाले कार्यों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है अपितु कार्यमद हेतु आवंटित धनराशि मुख्यतया नाला/ गदेरा नियंत्रण/ भूस्खलन नियंत्रण कार्यों में उपयोग कर ली जाती है। फलस्वरूप सम्पादित कराये गये कार्यों से अपेक्षित उपलब्धि परिलक्षित नहीं हो पा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में उचित होगा कि कार्यमद हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग निम्नानुसार करना सुनिश्चित किया जाय।

क्र0सं0	कार्यमद	मात्राकृत प्रतिशत धनराशि
1	जल संग्रहण क्षेत्र में पौधशाला स्थापना	2 प्रतिशत
2.	वर्षा जल का संग्रहण एवं सिंचन क्षमता विकास कार्यक्रम (सीमेन्ट का प्रयोग 2 प्रतिशत तक सीमित)	45 प्रतिशत
2.1	इन–सीटू नमी संरक्षण कार्यक्रम	
	अ) मेड़ों / बांधों पर घास रोपण	
	ब) सम्मोच रेखीय कूड़ / खन्ती निर्माण	
	स) जल संचय तालाब / पालीथीन लाईन्ड टैंक	
2.2	सदावहार जल स्रोतों का संरक्षण तथा उपयोग	
	अ) सीमेन्ट चैकडेम	
	ब) सिंचाई नाली निर्माण	
	स) ड्रिप सिंचाई / स्प्रिंकलर सिंचाई / लिफ्ट पम्प	
2.3	नौला सम्वर्द्धन कार्यक्रम	
2.4	छत के वर्षा जल का संग्रहण (Roof Rain Water Harvesting)	
	अ) फेरोसीमेन्ट टैंक	
	ब) पौलीथीन लाइन्ड टैंक	
3.	पूर्व निर्मित सिंचाई संरचनाओं का जीर्णोद्धार	5 प्रतिशत
4.	भू–क्षरण नियंत्रण संरचना निर्माण(केवल गैबियन संरचना) ,वानस्पतिक सपोर्ट सहित (प्राथमिकता से बांस, रामबांस)	15 प्रतिशत
5.	फसल प्रदर्शन (फसलों के साथ ,मसाले, फूलों की खेती, हर्बल, औषधीय कार्यक्रम एवं पोली हाउस आदि)	10 प्रतिशत
6.	शुष्क उद्यानीकरण / एग्रो फौरेस्ट्री	4 प्रतिशत
7.	चारा विकास कार्यक्रम (घेरबाड हेतु Biofencing को प्राथमिकता)	12 प्रतिशत
8	गृह उपयोग उत्पादन प्रणाली / गृह वाटिका	5 प्रतिशत
9	अनौपचारिक उर्जा विकास कार्यक्रम कार्यक्रम	2 प्रतिशत
	अ) बायोगैस	
	ब) सोलर उर्जा	

(डा0 आर0एस0टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयु

संख्या– 925 /व0ग्रा0वि0वि0/2002/तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
2. अपर कृषि निदेशक, उत्तरांचल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
4. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरांचल।
5. समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी/अन्य कार्यदायी संस्था, उत्तरांचल।

(डा0 आर0एस0टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास